न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान पार्वती देवी बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या – 169 / 2025
निर्णय दिनांक 14/07/25

पार्वती देवी पत्नी राम किशन जाति जाट निवासी झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर जिला चूरू

वादीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट, 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट

–::निर्णय::–

वादीनी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा झाड़सर कांधलालन पटवार हल्का झाड़रार कांधलालन तहसील तारानगर के खाता संख्या 126 के खसरा सं. 691/197 तादादी 0.5058 हैक्ट., ख.नं. 694/208 तादादी 2.5290 हैक्ट., ख.नं. 696/261 तादादी 4.1729 हैक्ट. व ख.नं. 700/443 तादादी 3.9958 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में सह खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम फतकौर पत्नी रामकिशन अंकित है। वादीनी का वास्तविक नाम पार्वती देवी पत्नी राम किशन है रामकिशन की मृत्यु के बाद इंतकाल दर्ज करते समय राजस्व रिकार्ड में भूलवश फतकौर पत्नी रामकिशन अंकित हो गया जो कि गलत है जबकि इसके स्थान पर पार्वती देवी पत्नी राम किशन दर्ज होना चाहिए। इसलिए उक्त राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर सही अंकन करवाया जाना आवश्यक हो गया है। उक्त खातेदारी के अलावा अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जनाधार कार्ड, पेंशन पीपीओ, पैन कार्ड आदि में वादीनी का नाम पार्वती देवी पत्नी राम किशन अंकित है। वादीनी के राजस्व रिकार्ड में नाम व अन्य दस्तावेजों के नाम में भिन्नता होने के कारण वादीनी को भारत सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ, के.सी.सी. कार्ड बनवाने आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादीनी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहती है। इसलिए वाद पत्र पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही मौजा झाड़सर कांधलालन पटवार हल्का झाड़सर कांधलालन तहसील तारानगर के खाता संख्या 126 के खसरा सं. 691/197 तादादी 0.5058 हैक्ट., ख.नं. 694/208 तादादी 2.5290 हैक्ट., ख. नं. 696/261 तादादी 4.1729 हैक्ट. व ख.नं. 700/443 तादादी 3.9958 हैक्ट. में वादीनी का नाम पार्वती देवी पत्नी राम किशन किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने वादीनी का नाम फतकौर पत्नी रामकिशन व पार्वती देवी पत्नी राम किशन दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज मतदाता आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जनाधार कार्ड, पेंशन पीपीओ, पैन कार्ड आदि दस्तावेजात में वादीनी का नाम पार्वती देवी पत्नी राम किशन पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम फतकौर पत्नी रामकिशन अंकित है। नाम में भिन्नता से वादीनी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा झाड़सर कांधलालन पटवार हल्का झाड़सर कांधलालन तहसील तारानगर के खाता संख्या 126 के खसरा सं. 691/197 तादादी 0.5058 हैक्ट., ख.नं. 694/208 तादादी 2.5290 हैक्ट., ख.नं. 696/261 तादादी 4.1729 हैक्ट. व ख.नं. 700/443 तादादी 3.9958 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादीनी का नाम फतकौर पत्नी रामकिशन Delete कर इसके स्थान पर पार्वती देवी पत्नी राम किशन अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/07/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)